आरक्षित निर्णय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ,नैनीताल

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कुमार मिश्रा
और
न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र खुल्बे

2012 की आपराधिक अपील संख्या 204

आरक्षित: 26.04.2022
वितरित: 18.05.2022

सफदर और अन्य ... ... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य. ..... प्रतिवादी

2013 की आपराधिक अपील संख्या 27 के साथ

मेहर आलम @ मेहर ..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य ..... प्रतिवादी

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता: श्री सज्जाद अहमद और श्री मो. उमर (अधिवक्ता)

राज्य के लिए अधिवक्ता: श्री जे.एस. विर्क, राज्य के लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल।

निजी प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता: श्री रामजी श्रीवास्तव अधिवक्ता

पक्षकारों के अधिवक्ताओ को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-
निर्णय: (न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे)

चूँकि इन अपीलों में अपीलकर्ताओं का एक साथ विचारण किया गया था और नीचे के न्यायालय द्वारा एक सामान्य निर्णय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया था, इसलिए इन दोनों अपीलों को एक साथ लिया जाता है और इस सामान्य निर्णय द्वारा तय किया जाता है।

2. इन आपराधिक अपीलों में अपीलकर्ताओं ने सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा एस.टी. 2007 की संख्या 294, **राज्य बनाम शाहनजर और अन्य**, जिसके तहत उन्हें धारा 302 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है और उनमें से प्रत्येक को 5,000 / - रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है; जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया।

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि 25.01.2007 को राव बुधन खान (P.W.1) ने थाने में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार के आशय में दिनांक 24.01.2007 की दोपहर लगभग 1:30 बजे जब वह अपने पुत्र अबरार, करारर एवं नौकर शमीम के साथ गन्ना छील रहा था, तभी दो व्यक्ति छत्ते से शहद निकालने आये जब शिकायतकर्ता और उसके साथियों ने उन लोगों को मधुमक्खियों के काटने से चोटिल होने से बचने के लिए छत्ते को न तोड़ने के लिए रोका तो उन लोगों ने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को गाली देना शुरू कर दिया और उन्हें अपनी जान से मारने की धमकी दी। उस घटना के बाद दिनांक 25.01.2007 को दोपहर लगभग 12:00 बजे, जब शिकायतकर्ता के पुत्र अबरार, करार और नौकर शमीम गन्ना छील रहे थे और शिकायतकर्ता खेतों में पानी दे रहा था, तो 24.01.2007 को उन दो लोगों सहित चार व्यक्तियों ने झगड़ा किया था उसने तुरंत फरियादी के बड़े बेटे अबरार पर कटार और गंडासा (धार दार हतियार) से हमला कर दिया। उसके द्वारा शोर मचाने पर भविष्य में जान से मारने की धमकी देकर हमलावर वहां से भाग गए। इन्हीं बातों को लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की

गयी. तदनुसार, धारा 302 आईपीसी के तहत चिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 2007 के अपराध संख्या 22 होने के कारण चार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।

4. मामले की जांच की गई और जांच अधिकारी ने जांच पूरी करने के बाद अपीलकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश की।

5. धारा 207 Cr.P.C के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद, संबंधित अदालत ने मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को मामला सौंप दिया। तदनुसार, संबंधित न्यायालय ने संज्ञान लिया। इसके बाद, संबंधित अदालत ने 30.08.2007 को आईपीसी की धारा 302/34 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए, जिसके लिए उन्होंने दोषी नहीं होने की दलील दी और मुकदमा चलाने का दावा किया।

6 अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने PW1 राव बुधन खान (मुखबिर), PW2 राव शाहिद खान, PW3 खालिद, PW4 करार अहमद (प्रत्यक्षदर्शी), PW5 शमीम, PW6 अली नवाज, PW7 डॉ. जे.एस. चुफाल, PW8 नफसत खान, PW9 इंस्पेक्टर अशोक कुमार अरोड़ा (I.O.), PW10 डॉ. आर.एस. चौहान (जिन्होंने शव परीक्षण किया) और PW11 एस.आई. राम बाबू आर्य (मामले के आईओ)।

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, अपीलकर्ताओं के बयान Cr.P.C की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से इनकार किया।

8. बचाव में, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि इस फैसले के पैरा संख्या 2 में उल्लेख किया गया है।

10. दिनांक 16.05.2012 के निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों द्वारा इन आपराधिक अपीलों को प्रस्तुत किया गया है।

11. अभियोजन पक्ष ने राव बुधन खान (P.W. 1) को मामले का चश्मदीद गवाह साबित कर दिया है। उनके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री का समर्थन करते हुए, उन्होंने बयान दिया है कि 24.01.2007 को दो आरोपी व्यक्ति छत्ते को तोड़ने के लिए मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता के पक्ष द्वारा रोके जाने पर उन्होंने धमकी दी कि वे किसी की जान की कीमत पर भी ऐसा करेंगे और अपमानजनक गालियां भी दीं। इस पर उनके बेटे ने उन लोगों को डांटा जिससे वे यह धमकी देकर चले गए कि वे 'रोहित पहलवान' के बेटे हैं। दिनांक 25.01.2007 को जब उसके पुत्र अबरार, करार एवं नौकर शमीम खेत में कार्य कर रहे थे तथा वह (मुखबिर) भी बगल के खेत में कार्य कर रहा था, दोपहर लगभग 12.30 बजे वे दोनों अभियुक्त व्यक्ति, जो दिनांक 24.01. .2007 और साथ ही एक और शख्स वहां पहुंचा. अदालत में उन तीनों व्यक्तियों की पहचान करने वाले गवाह ने कहा कि 25.01.2007 को लगभग 12:30 बजे वे तीनों व्यक्ति हथियारों से लैस होकर मौके पर आए; मेहर आलम एक 'पताल ' से लैस था, शाहनज़र के पास 'गंडासा' था और सफदर के पास 'खंजर' था। आरोपियों ने अपने-अपने हथियारों से अबरार के सिर पर वार कर दिया। नौकर शमीम द्वारा शोर मचाने पर जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि आरोपितों ने उसके बेटे का सिर व गर्दन काट कर गिरा दिया है। जाते समय आरोपितों ने किसी के सामने आने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के बाद उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट राव साहब को लिखवाई और थाने में दर्ज करायी जो पूर्व का-1 के नाम से दर्ज थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के हाथों इस गवाह से लंबी जिरह की गई, लेकिन इस गवाह की गवाही पर कोई संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं निकला।

12. राव शाहिद खान (PW2) प्रथम सूचना रिपोर्ट का मुंशी है। अपने बयान में, उन्होंने गवाही दी है कि उन्होंने राव बुधन खान के कहने पर रिपोर्ट लिखी थी। इसे लिखने के बाद, उसने मुखबिर को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जिसने उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था। उसने रिपोर्ट पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर के साथ-साथ अंगूठे के निशान को भी प्रमाणित किया है। वह जांच का गवाह भी है क्योंकि उसे 'पंच' नियुक्त किया गया था।

13. खालिद (PW3) अपीलकर्ता सफदर के कहने पर कटार की बरामदगी का गवाह है। उन्होंने रिकवरी मेमो पूर्व का -10 पर अपना हस्ताक्षर साबित किया है।

14. करार अहमद (PW4) मुखबिर का दूसरा बेटा और घटना का चश्मदीद गवाह बताया जाता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 24.01.2007 को वह अपने भाई अबरार, पिता एवं नौकर शमीम के साथ गन्ना छील रहा था। उस दिन दोपहर करीब एक बजे दो व्यक्ति आए और छत्ते को तोड़ने लगे। जब उन्होंने उन्हें ऐसा न करने से रोका तो वे लोग उन्हें 'वाहिद पहलवान' का बेटा बताकर गालियाँ देने लगे। उनके भाई अबरार ने उन्हें डांटा और भगाया, तो उनमें से एक ने कहा कि वे छत्ता तोड़कर शहद निकालेंगे। अगले दिन यानी 25.01.2007 को वह अपने भाई अबरार (मृतक) और नौकर शमीम के साथ गन्ने के खेत में काम कर रहा था, और उसके पिता बगल के खेत में काम कर रहे थे, फिर वही दो व्यक्ति, जो पिछले दिन आए थे, एक अन्य व्यक्ति के साथ वहाँ आया और एक ही बार में, उन्होंने अपने-अपने हथियारों से उसके भाई पर हमला करना शुरू कर दिया। 'गंडासा, पताल और एक कटार'। उसके भाई के चिल्लाने पर उन्होंने देखा कि वे लोग उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे थे। उन लोगों ने उसके भाई की गर्दन और सिर को अपने शस्त्रों 'गंडासा, पताल और खंजर' से काट डाला था। शोर मचाने पर उसके पिता मौके पर दौड़े आए और जब वे उसके भाई को बचाने के लिए आगे बढ़े तो आरोपितों ने हथियार लहराते हुए कहा कि अगर कोई आगे बढ़ा तो उसे भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोर्ट में उसने सफदर और मेहर आलम की शिनाख्त की। इस गवाह का भी बचाव पक्ष के अधिवक्ता के हाथों एक लंबी जिरह की गई थी लेकिन इस गवाह की गवाही पर कोई संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं निकला।

15. शमीम (PW5) भी एक व्यक्ति है जिसने इस मामले में चश्मदीद गवाह दिया है। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से PW1 राव बुधन खान के साथ-साथ PW4 करार अहमद के साक्ष्य की पुष्टि की है। दिनांक 24.01.2007 को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा छत्ते को तोड़ने और अबरार (मृतक) द्वारा डांटे जाने की इसी कहानी का वर्णन करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 25.01.2007 को दोपहर लगभग 12:00 बजे अभियुक्त व्यक्ति (अपीलार्थी) हथियारों से लैस होकर घातक हथियारों के साथ 'पताल , गंडासा और एक खंजर', मौके पर आया;

उन्होंने अबरार को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की जिससे उसके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। कोर्ट में उसने सफदर और शाहनजर की शिनाख्त की। इस गवाह का भी बचाव पक्ष के अधिवक्ता के हाथों एक लंबी जिरह की गई थी लेकिन इस गवाह की गवाही पर कोई संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं निकला।

16. अली नवाज़ (PW6) हत्या के हथियारों की बरामदगी का भी गवाह है। उसने अपीलार्थी-शहनाजार के कहने पर 'पताल ' की वसूली, अपीलकर्ता मेहर आलम द्वारा 'गंडासा' की वसूली को प्रमाणित किया है। उन्होंने संयुक्त रिकवरी मेमो (पूर्व का-8) पर अपना हस्ताक्षर सिद्ध कर दिया है।

17. डॉ जे.एस. चुफाल (PW7) चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने 30.01.2007 को अपीलकर्ताओं, अर्थात् शाहनज़र और मेहर आलम की चिकित्सा जांच की और उनकी चिकित्सा रिपोर्ट क्रमशः पूर्व का-3 और पूर्व का-4 के रूप में साबित हुई।

18. नफासत खान (PW8) जांच रिपोर्ट का गवाह है।

19. PW11 एस०इए राम बाबू आर्य वह व्यक्ति है जिसने मामले की जांच की, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद, जांच इंस्पेक्टर अशोक कुमार अरोड़ा (PW9) को सौंपी गई, जिन्होंने अंततः अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की, जो पूर्व का-25 है।

20. डॉ. आर.एस. चौहान (PW10) वह व्यक्ति है जिसने 25.01.2007 को मृतक अबरार के शव का पोस्टमार्टम किया था। शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाई गईं:-

• "सिर के पिछले हिस्से पर अनुप्रस्थ कटा हुआ घाव 8 सेमी x 3 सेंटीमीटर, मस्तिष्क गहरा ग्रे पदार्थ उजागर, यह सी 1 से 6 सेंटीमीटर ऊपर है।

• छेदित घाव 1 सेमी x 1.8 सेंटीमीटर आकार का है, यह है दाहिने कंधे के ऊपर।

• छेदित घाव 3 X 0.7 सेंटीमीटर आकार में, चोट संख्या 2 के नीचे 3 सेंटीमीटर ।

• दाहिने कंधे के पीछे 3 x 1 सेंटीमीटर कटा हुआ घाव।

• बाईं बांह की कलाई के मध्य भाग पर 4 x 1 सेंटीमीटर कटा हुआ घाव।
गहरा छिन्न घाव सिर के पीछे (पश्चकपाल क्षेत्र)।

trt खोपड़ी ,सिर, चेहरे और छाती पर खून और खून के धब्बे दिखाई देते हैं।

डॉक्टर की राय में, मौत बड़े पैमाने पर रक्तस्राव और मृत्यु पूर्व चोटों के कारण सदमे के कारण हुई थी।

21. तत्पश्चात आरोपी अपीलकर्ताओं के बयान धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए। जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया था। हालाँकि, कोई भी सबूत, मौखिक या दस्तावेजी, बचाव में नहीं लाया गया था।

22. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को काफी विस्तार से सुना है और न्यायालय के अभिलेखों में उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की है।

23. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपने मामले को किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है और अपीलकर्ता बरी होने के लिए उत्तरदायी हैं।

24. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता के साथ-साथ मुखबिर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि यह आरोपी व्यक्तियों द्वारा क्रूरतापूर्वक

दिनदहाड़े की गई हत्या है, यहां तक कि अभियुक्तों के खिलाफ रिकॉर्ड में प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध हैं। व्यक्तियों, और इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने सही तरीके से दोषी ठहराया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

25. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार सर्वप्रथम दिनांक 24.01.2007 को अपीलकर्ता मेहर आलम एवं शाह नजर मुखबिर के खेत में आये तथा शहद निकालने के लिए छत्ते को तोड़ने जा रहे थे। मृतक अबरार ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पर आरोपी ने कहा कि इनमें से एक हबीब पहलवान का बेटा है और अबरार को मारकर भी कौन शहद निकालेगा। पुनः दिनांक 25.01.2007 को लगभग 12:00 बजे, दोनों अपीलकर्ता, अपीलार्थी-सफदार के साथ उसी खेत में पहुँचे, जब मृतक अबरार अपने छोटे भाई-करार और नौकर-शमीम के साथ गन्ना छील रहे थे, जहाँ उन्होंने गंभीर रूप से मारपीट शुरू कर दी। खंजर और गंडासा के साथ अबरार; इस घटना के कारण अबरार ने दम तोड़ दिया।

26. 24.01.2007 को PW1 राव बुद्दन खान (मृतक अबरार के पिता), PW4 करार अहमद (मृतक का भाई) और PW5 शमीम (PW1 का नौकर), अबरार (मृतक), PW4 करार और PW5 शाहीम के साक्ष्य के अनुसार PW1 राव बुद्धन खान के खेत में गन्ना छील रहे थे। दोपहर लगभग 1:00-1:30 बजे। अपीलकर्ता - महर आलम और शाह नज़र खेत में पहुँचे और हमारे खेत से सटे वाहिद के खेत में खड़े एक पेड़ पर लगे छत्ते को तोड़ने के लिए जाने लगे। फरियादी व उसके साथियों ने जब उन्हें रोका तो गाली-गलौज करने लगे और कहा कि तुम हमें नहीं जानते और हम इस छत्ते को नष्ट कर देंगे भले ही हमें अबरार की हत्या करनी पड़े।

27. 25.01.2007 को, जब अबरार (मृतक), PW4 करार और PW5 शमीम खेत में मौजूद थे और PW1 राव बुद्धन खान भी घटनास्थल से सटे खेत में काम कर रहे थे, दोपहर लगभग 12:00 से 12:30 बजे। अपीलार्थी हथियार लेकर मौके पर पहुंचे। मेहर आलम के पास पताल , शाह नजर के पास गंडासा और सफदर के पास चाकू था और वे मृतक (अबरार) को बुरी तरह से पीटने लगे। PW5 शमीम के बाद, PW1 राव बुद्धन खान मौके पर पहुंचे। अपीलकर्ताओं ने PW1 राव बुद्धन खान को भी जान से मारने की धमकी दी और जंगल की ओर भाग गए। आरोपितों के हमले से अबरार की मौके पर ही मौत हो गई।

28. PW 1 राव बुद्दन खान ने उसी दिन कोतवाली रानीपुर को सूचना (पूर्व का-1) सौंपी थी। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (पूर्व का-22) दर्ज की है. पूछताछ रिपोर्ट (पूर्व का-13) PW11 राम बाबू आर्य द्वारा तैयार की गई थी, जिसे PW2 शाहिद खान और PW8 नफसत खान ने भी साबित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पूर्व का-6) PW10 डॉ. आर.एस. द्वारा तैयार की गई थी। चौहान।

29. 29.01.2007 को, अपीलार्थी-मेहर आलम और शाह नज़र को गिरफ्तार किया गया। उनके खुलासे के बयान दर्ज किए गए, जो पूर्व का-11 है। अपीलकर्ता मेहर आलम के कहने पर पताल बरामद किया गया और अपीलकर्ता शाह नजर के कहने पर गंडासा बरामद किया गया। तदनुसार, रिकवरी मेमो (पूर्व का-8) तैयार किया गया था जो PW11 राम बाबू आर्य द्वारा सिद्ध किया गया था।

30. 02.02.2007 को अपीलकर्ता-सफदर का प्रकटीकरण बयान दर्ज किया गया, जो पूर्व का-12 है। उसकी निशानदेही पर एक चाकू (पूर्व का-10) बरामद हुआ, जिसे PW11 ने साबित किया है।

31. घटना के समय, PW1 राव बुद्धन खान (मुखबिर) भी घटनास्थल के पास के खेत में काम कर रहे थे। PW5 शमीम का शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचे। उसने अपीलार्थियों द्वारा अपने पुत्र अबरार (मृतक) की हत्या करने की घटना को भी देखा।

32. उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन PW 4 करार अहमद, जो मृतक का छोटा भाई है, भी गन्ना छील रहा था। उन्होंने पूरी कहानी का समर्थन किया, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है।

33. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, PW5 शमीम, जो PW1 राव बुद्धन खान का नौकर है, भी मौके पर मौजूद था। उन्होंने भी वही कहानी सुनाई जो PW1 राव बुद्धन खान और PW4 करार अहमद ने बताई थी।

34. उपरोक्त तीनों गवाह घटना के चश्मदीद हैं। PW2 राव शाहिद खान रिपोर्ट के मुंशी (पूर्व का- 1) हैं, जो पूछताछ रिपोर्ट के गवाहों में से एक हैं और जिनकी उपस्थिति में पूछताछ रिपोर्ट तैयार की गई थी।

35. PW3 खालिद भी चाकू की बरामदगी का गवाह है जिसकी उपस्थिति में अपीलकर्ता-सफदर के 02.02.2007 को इंगित करने पर चाकू बरामद किया गया था।

36. PW 3 खालिद के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-सफदर द्वारा एक चाकू बरामद किया गया था, जो अपराध में इस्तेमाल किया गया था।

37. सा. सा. 6 अली नवाज वसूली का भी गवाह है, जिसकी उपस्थिति में अपीलार्थी-शाह नज़र ने गंडासा बरामद किया और अपीलकर्ता-मेहर आलम ने एक पताल बरामद किया।

38. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा कोई पहचान परेड (TIP) आयोजित नहीं की गई थी। केवल वाहिद पहलवान के एक बेटे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और अपीलकर्ताओं का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। चूंकि, कोई टी.आई.पी. आयोजित नहीं किया गया था, तदनुसार, अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो गया है।

39. यह सच है कि इस मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जांच एजेंसी द्वारा कोई परीक्षण पहचान नहीं की गई थी, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, PW1 राव बुद्धन खान, PW4 करार अहमद और PW5 शमीम मौके पर मौजूद थे। . वे अपीलकर्ताओं को चेहरे से जानते थे। 29.01.2007 को, पुलिस की उपस्थिति में, अपीलकर्ताओं - शाह नज़र और मेहर आलम की पहचान PW1 राव बुद्धन खान (मुखबिर और मृतक के पिता) और PW4 करार अहमद (मृतक के भाई) द्वारा की गई थी। दिनांक 02.02.2007 को जब अपीलार्थी-सफदर को गिरफ्तार किया गया था, उस समय दोनों गवाह भी उपस्थित थे और अपीलकर्ता-सफदर की उनके द्वारा ठीक से पहचान की गई थी। बयान दर्ज करते समय, PW1 राव बुद्धन खान (मुखबिर) ने भी अदालत के समक्ष

अपीलकर्ता की पहचान की। बयान दर्ज करने के समय, PW 4 करार अहमद ने अपीलकर्ताओं-सफदर और मेहर आलम की भी पहचान की। जहां तक अपीलार्थी-शाह नज़र का संबंध है, वह न्यायालय में बयान दर्ज कराने के समय उपस्थित नहीं था क्योंकि उसका छूट आवेदन भी बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दायर किया गया था। PW5 शमीम ने अदालत के समक्ष बयान दर्ज करते समय अपीलकर्ताओं-सफदर और शाह नज़र की भी पहचान की।

40. दाना यादव बनाम बिहार राज्य, (2002) 7 एससीसी 295 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:

"11। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई परीक्षण पहचान परेड के लिए नहीं बुलाया जाता है और अगर पीड़ित ने पहली सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के नाम का उल्लेख किया है या वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को पहले से जानता है तो उसे पहचान के लिए पेश करना समय की बर्बादी होगी।

41. हाल के एक फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजेश बनाम हरियाणा राज्य,** (2021) 1 एससीसी 118 ने परीक्षण पहचान के संबंध में सिद्धांतों का सारांश दिया। सुविधा के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों को यहां नीचे उद्धृत किया गया है:-

"43.1 …….....
43.2 …….....
43.3 …….....
43.4…….....
43.5 अदालत में अभियुक्त की पहचान ठोस साक्ष्य का गठन करती है;
43.6 …….
43.7 …….
43.8 …….
43.9 चूंकि टीआईपी में ठोस साक्ष्य नहीं होते हैं, इसलिए इसे धारण करने में विफलता वास्तव में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाती है ;
43.10 …….....

43.11 टीआईपी में या अदालत में अभियुक्त की पहचान हर उस मामले में आवश्यक नहीं है जहां दोष उन परिस्थितियों के आधार पर स्थापित किया जाता है जो सबूत की प्रकृति और गुणवत्ता को आश्वासन देते हैं; और
43.12 ……”

42. इसी तरह, **जयन बनाम केरल राज्य, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 961** में देर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय माना है कि:-

"15। ... ... .हालाँकि, टी.आई परेड की अनुपस्थिति अपने आप में उस गवाह की गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है जिसने अदालत में अभियुक्त की पहचान की है। किसी दिए गए मामले में, गवाह की गवाही के लिए अन्यथा पर्याप्त पुष्टि हो सकती है। कुछ मामलों में, अदालत अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से प्रभावित हो सकती है जो एक उत्कृष्ट गुणवत्ता की है। ऐसे मामलों में ऐसे गवाह की गवाही पर विश्वास किया जा सकता है।

43. वर्तमान मामले में, PW1 राव बुद्धन खान, PW4 करार अहमद और PW5 शमीम अपीलकर्ताओं की चेहरे की पहचान से अच्छी तरह परिचित थे, हालांकि वे उनके नामों से अनजान थे। हालांकि, गिरफ्तारी के समय और ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी, उपरोक्त गवाहों ने अपीलकर्ताओं की ठीक से पहचान की। इन परिस्थितियों में, यह महत्वहीन है कि जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान कोई पहचान परीक्षण नहीं किया गया था।

44. इसके बाद अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हथियार, जो अपीलकर्ताओं के संकेत पर बरामद किए गए थे, एफएसएल परीक्षण के लिए नहीं भेजे गए थे और तदनुसार, अपीलकर्ता बरी होने के लिए उत्तरदायी हैं।

45. यह सच है कि जांच एजेंसी ने अपीलकर्ताओं की ओर से बरामद किए गए हथियारों को एफएसएल को नहीं भेजा था, लेकिन रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि जब अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने पुलिस के सामने अपराध का

खुलासा किया और यह भी वारदात में इस्तेमाल हथियारों के बारे में खुलासा किया है। तदनुसार, उनके प्रकटीकरण बयान दर्ज किए गए थे। अपीलकर्ता-सफदर के संकेत पर, 02.02.2007 को PW3 खालिद की उपस्थिति में एक चाकू बरामद किया गया, जो एक स्वतंत्र गवाह है। शाह नजर की निशानदेही पर मारपीट का हथियार 'गंडासा' और मेहर आलम की निशानदेही पर 'पताल ' बरामद हुआ। 'गंडासा' और 'पताल' की बरामदगी के समय, अली नवाज़ (PW6) और अब्दुल रहमान भी मौजूद थे, जिन्होंने रिकवरी मेमो (पूर्व का-8) को साबित किया।

46. **अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य, (2003) 2 एससीसी 518,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि: -

"15……यह निश्चित रूप से बेहतर होता अगर जांच एजेंसी आग्नेयास्त्रों और खाली हथियारों को तुलना के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजती। हालांकि, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट किसी भी मामले में विशेषज्ञ की राय की प्रकृति की होगी और यह निर्णायक नहीं है। आग्नेयास्त्रों और तुलना के लिए खाली भेजने में जांच अधिकारी की विफलता अभियोजन मामले को पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकती है, जब चश्मदीद गवाहों की गवाही से पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, जिनकी मौके पर उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे सभी बंदूक की गोली से घायल हो गए थे घटना में।

47. इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आ रही हैं:

A. 24.01.2007 को जब मुखबिर का बेटा अबरार (मृतक), करारर और नौकर शमीम दोपहर करीब 1:30 बजे अपने खेत में गन्ना छील रहे थे. दो लड़के वहां आए और शहद निकालने जा रहे थे। रोकने पर दोनों गाली-गलौज करने लगे और विरोध करने पर एक ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि इनमें से एक हबीब पहलवान का बेटा है और मार कर भी शहद निकाल लेंगे।

B. 25.01.2007 को, लगभग 12:00 बजे जब PW1 राव बुद्धन खान (मुखबिर), PW4 करार अहमद और PW5 शमीम के बड़े बेटे एक ही खेत में गन्ना छील रहे थे, जबकि PW1 राव बुद्धन खान (मुखबिर) पास में काम कर रहे थे, इसी दौरान अपीलकर्ता आए और

बड़े बेटे अबरार को हथियार से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिससे अबरार की मौके पर ही मौत हो गई।

C. PW1 राव बुद्धन खान, जो मृतक के पिता हैं, ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस थाने में दिनांक 25.01.2007 को 12:45 बजे ही दी, जबकि घटना उस दिन दोपहर लगभग 12 बजे हुई बताई जाती है।

D. उसी दिन जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई

E. 29.01.2007 को, अपीलार्थी-मेहर आलम और शाह नज़र को गिरफ्तार किया गया और PW1 राव बुद्धन खान और PW4 करार अहमद द्वारा उनकी विधिवत पहचान की गई।

F. 02.02.2007 को, अपीलकर्ता-सफदर को PW1 राव बुद्धन खान और PW4 करार अहमद और PW5 शमीम द्वारा पहचाना जा रहा था।

G. अपीलार्थी-मेहर आलम और शाह नज़र के कहने पर, PW6 अली नवाज और अब्दुल रहमान की उपस्थिति में गंडासा और पाताल बरामद किया गया, जबकि सफदर के संकेत पर और PW3 खालिद की उपस्थिति में, एक चाकू (वसूली मेमो पूर्व का-10) बरामद किया गया था, जो PW11 द्वारा साबित होता है।

H. घटना के समय, PW1 राव बुद्धन खान, PW4 करार अहमद और PW5 शमीम मौके पर मौजूद थे और उन्होंने अभियोजन कहानी की विधिवत पुष्टि की।

I. अपीलकर्ताओं की पहचान PW1 राव बुद्धन खान, PW4 करार अहमद और PW5 शमीम द्वारा उनके बयानों की रिकॉर्डिंग के समय ट्रायल कोर्ट के समक्ष की गई थी।

48. उपरोक्त कारणों से, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं पाते हैं। विचारण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि अपीलकर्ताओं को अपराध का दोषी पाया गया था, रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद विस्तृत कारण दिए हैं। हम ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 के तहत अपराध का आरोप पूरी तरह से साबित होता है।

49. तदनुसार, हम ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए आक्षेपित निष्कर्षों में कोई दुर्बलता या विकृति नहीं पाते हैं।

50. दोनों अपीलों में योग्यता का अभाव है और तदनुसार, चुनौती के तहत निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए इसे खारिज किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड निरस्त किए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाई गई सजा को पूरा करने के लिए उन्हें तत्काल हिरासत में लिया जाए। अपीलकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद ही ज़मानतें उन्मोचित होंगी।

51. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले और आदेश की एक प्रति एलसीआर के साथ संबंधित न्यायालय को तत्काल अनुपालन के लिए भेजे।

संजय कुमार मिश्रा, ए.सी.जे.

रमेश चंद्र खुल्बे, जे.